मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
**मंत्रालय, वल्लभ भवन**

**:: आदेश ::**

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

**कमांक एफ 1–4/2006/56 :– राज्य शासन द्वारा प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने हेतु** नेस्काम की सूची के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. कंपनियों **को** सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत शासकीय भूमि का आवंटन एवं छूट/सुविधा दिये जाने **की प्रकिया का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–**

1. **सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत भूमि आवंटन एवं छूट/सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदक कंपनी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम में विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगी।**

2. **मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम आवेदन की जांच के लिए प्रकमण (processing) शुल्क लेने के लिए अधिकृत होगा जिसकी गणना निम्नानुसार होगी :–**

| निवेश | एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा लिया जाने वाला जांच शुल्क |
|---|---|
| रूपये 20.00 करोड तक | रूपये 20.00 हजार |
| रूपयें 50.00 करोड तक | रूपये 30.00 हजार |
| रूपये 100.00 करोड एवं उससे अधिक | रूपये 50.00 हजार |

3. **नेस्काम द्वारा चिन्हित देश की 20 श्रेष्ठतम् साफ्टवेयर कंपनियों एवं 15 आई.टी.ई.एस. एवं बी.पी.ओ. कंपनियों को भूमि आवंटन एवं छूट सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2006 जारी किया गया है। इन कंपनियों को तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. कंपनियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम इन आवेदनों की जांच करेगा तथा जांच उपरान्त कंपनी को भूमि आवंटन एवं छूट/सुविधा के बिन्दुओं पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशासकीय निर्णय लेने के बाद छूट सुविधा के आदेश मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा जारी किये जायेंगे । इसके लिए निगम को अधिकृत एजेंसी घोषित किया जाता है।**

4. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत अधोसंरचना विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही अधोसंरचनाओं को आई.टी. इन्वेस्टमेंट एरिया घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए आवेदनों की जॉच मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा की जाएगी तथा अपनी अनुशंसा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त के लिए प्रशासकीय निर्णय लेने के उपरान्त आईटी. इन्वेस्टमेन्ट एरिया घोषित करने के आदेश मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा जारी किये जायेंगे। इसके लिए निगम को अधिकृत एजेंसी घोषित किया जाता है।

5. आवेदक कंपनी आवेदित छूट/सुविधा के मूल्य के बराबर की राशि एवं समयावधि की बैंक गारंटी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पक्ष में प्रस्तुत करेगी। आवेदक कंपनी द्वारा नीति के तहत निर्धारित निवेश/रोजगार की जिम्मेदारी पूर्ण करने की स्थिति में बैंक गारंटी मुक्त कर दी जायेगी। जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करने पर बैंक गारंटी से राशि वसूल कर ली जायेगी एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य शासन द्वारा वापिस प्राप्त किया जायेगा।

6. भूमि आवंटन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नीति में वर्णित प्रावधानों के अलावा आवश्यकतानुसार वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभावशील भूमि आवंटन नियमों के प्रावधानों के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा नियम बनाये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्यप्रदेश
प्रौद्योगिकी

क्रमांक एफ 1–4/2006/56 भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2009

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग,
2. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. भोपाल,
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आदेश के पैरा 6 अनुसार भूमि आवंटन नियम का प्रारूप तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करें।
6. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,
7. अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप–आइं.टी. भोपाल,
8. विशेष सहायक, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीजी,
9. मुख्य सूचना अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट में रखने का कष्ट करें।

की ओर सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत अग्रेषित।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग